

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 617]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 17, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

क्र. CT-8-0005-2022-Sec-1-पांच-(70).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में,—

- (क) नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा;
- (ग) नियम 127 में, “कर्तव्य” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आता है, “कृत्य” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा;
- (ङ) नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा;
- (च) नियम 137 के पश्चात् के स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(क) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है;”

(2) ये नियम दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

क्र. CT-8-0005-2022-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0005-2022-Sec-1-पांच-(CT) (70), दिनांक 08 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th December 2022

No. CT-8-0005-2022-Sec-1-V-(70).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax, Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby further amends the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

- (a) rule 122 shall be omitted;
- (b) rules 124 and 125 shall be omitted;
- (c) in rule 127,—
 - (i) in the marginal heading, for the word “Duties”, the word “Functions”, shall be substituted;
 - (ii) for the words “It shall be the duty of the Authority,-”, the words “The authority shall discharge the following functions, namely:—”shall be substituted;
- (d) rule 134 shall be omitted;
- (e) rule 137 shall be omitted;
- (f) after rule 137, in the Explanation, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 - ‘(a) “Authority” means the Authority notified under sub-section (2) of Section 171 of the Act;’.

(2) These rules shall come into force from 1st day of December, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.